# जिला बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2017

## सामान्य जानकारी एवं परीक्षा संचालन नियम

**A.** **पात्रता** :- चयन हेतु केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभाग द्वारा भर्ती नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हों।

**B.** **शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु शहर** - रायपुर, दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, कांकेर एवं बीजापुर।

## भर्ती नियम

**(1) पात्रता की शर्तें :-**

क- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

ख- कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ग- कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

**(2) निर्धारित आयुसीमा :-**

क- सामान्य जाति के उम्मीद्वार की आयु 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीद्वार को उच्चतर आयुसीमा में पांच वर्ष तक की छूट प्रदान की जावेगी।

बस्तर संभाग के जिला जगदलपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर (नवगठित जिला सुकमा एवं कोण्डागांव सहित) में आरक्षक(जीडी) के पद पर नियुक्ति हेतु इन जिलों के स्थानीय निवासी के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष (सामान्य जाति के लिये) एवं अधिकतम आयु 38 वर्ष (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमीलेयर एवं सभी वर्ग की महिलाओं के लिये)

ख- उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शाासन के कर्मचारी हो, अथवा रह चुके हों, किंतु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयुसीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी -

**(एक)** कोई अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवा हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

**(दो)** कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।

**(ग)** यदि कोई अभ्यर्थी जो छटनी से किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयुसीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण** :-शब्द 'छटनी' किये गये सरकारी कर्मचारी से द्योतक है - ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्ही भी संगठन इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने के तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

**घ-** ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण :-** पद 'भूतपूर्व सैनिक' से द्योतक है ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र

देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई को सिफारिशों के फलस्वरूप, या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई है या जो अधिशिष्ट घोषित किया गया हो:-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किये गये हो, और जिन्हें -

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर।

(ख) भर्ती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपर्वू कर्मचारी।

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमे अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हो।

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

ड- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम आयुसीमा 02 वर्ष तक शिथिल की जावेगी।

च- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी।

छ- 'विक्रम पुरस्कार' प्राप्त खिलाड़ी अभ्यर्थियों के संबंध में भी अधिकतम आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी।

ज- इन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हो, अधिकतम आयु सीमा को 36 वष्र तक शिथिल किया जावेगा।

झ- स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयुसीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 08 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किंतु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएं अर्थात उस नगर सैनिक/नान-कमीशंड अधिकारी को जिसने एक वर्ष की नगरसेना सेवा पूर्ण की हो उसे आवश्यकतानुसार सामान्य अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की, जिसने दो वर्ष की नगरसेना सेवा पूर्ण की हो उसे दो वर्ष की एवं ऐसे ही आगे के पूर्ण सेवा वर्षों के बराबर की छूट दी जाए।

**टिप्पणी** - उपर्युक्त खंड ख के उपखंड एक तथा दो में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को चयन के लिए सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात या चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इनकी सेवा या पद से छटनी की जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

(1) किसी भी अन्य मामले में आयुसीमा शिथिल नहीं की जावेगी विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी।

(2) शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरणों में अनुशासन, अयोग्यता अथवा चिकित्सा के आधार पर सेवा से हटाये गये सेवारत अथवा भूतपूर्व कर्मी इस सेवा के अयोग्य होंगे।

**स्पष्टीकरण :-** शासन के मानदेय पर या संविदा पर कार्य करने वाले अन्य स्वयंसेवियों या कर्मियों या शिक्षाकर्मी या पंचायत कर्मी इत्यादि को आयुसीमा में छूट की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

(3) **शैक्षणिक योगयता** -

क- 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। (केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे)।

बस्तर संभाग के जिलों में आरक्षक (जीडी) पद पर नियुक्ति हेतु स्थानीय निवासी के लिये 5वीं कक्षा उत्तीर्ण।

ख- प्रदेश में नक्सल पीड़ित परिवार तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के उम्मीदवार 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे।

ग- निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र संलग्न करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

घ- आरक्षक(चालक) पद हेतु भारी वाहन का ड्राईविंग लायसेंस होना आवश्यक है।

**नोट :- आरक्षक (चालक), आरक्षक (एमटी) एवं आरक्षक (डीआर) के पद हेतु अर्हतायें समान है।**

(4) **शारीरिक अर्हता -**

(क) अभ्यर्थी की निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य ही होनी चाहिए :-

| स. क्र | विवरण | पुरूष अभ्यर्थियों के लिए | | | महिला अभ्यार्थियों के लिये |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ऊंचाई से.मी. | सीना से.मी. में | | |
| | | | अविस्तावित | पूर्णतः विस्तारित | ऊंचाई से.मी. |
| 1 | सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग | 168 | 81 | 86 | 158 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति वर्ग | 158 | 76 | 81 | 158 |
| 3 | सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी | 153 | 76 | 81 | 153 |
| 4 | बस्तर संभाग के जिलों में आरक्षक (जी.डी) के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानीय निवासी सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी । | 163 | 79 | 84 | 153 |
| 5 | बस्तर संभाग के जिलों में आरक्षक (जी.डी) के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानीय निवासी अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थी। | 150 | 74 | 79 | 148 |

सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 05 सेमी सीना फुलाना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी।

**नोट :- 1. विशेष प्रकरणों में शारीरिक मापदंड के संबंध में छूट केवल पुलिस महानिदेशक द्वारा दी जा सकेगी।**

**2. ऊंचाई एवं सीने की नापतौल में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।**

ख अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए।

ग अभ्यर्थी में नोंकनी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए। नोंकनी एवं फलेट फुट संबंधी अर्हतायें समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए।

उपरोक्त कारणों से आयोग्य अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर चयन समिति जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेगी। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।

(5) **परीक्षा की योजना -**

**(क) प्रथम चरण :-**

(1) **शारीरिक नापजोख :-**

प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख कंडिका (4) के अनुसार किया जावेगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जावेगा। शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में दिनांक एवं स्थान, अभ्यर्थी को पृथक से सूचित किया जावेगा।

(2) **शारीरिक दक्षता परीक्षा :-**

शारीरिक दक्षता परीक्षा, नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत पुरूषों के लिये 1500मी. दौड़ 05:40 मिनट एवं महिलाओं के लिये 800मी. दौड़ 03:20 मिनट में पूर्ण करना होगा। इसके लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है, यह क्वालीफाईंग प्रकृति का है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण कर दिया जावेगा और उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जावेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

**(ख) द्वितीय चरण**

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावेगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंको की होगी तथा इसकी अवधि 02 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जावेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। आरक्षक(चालक) एवं आरक्षक(ट्रेड) पद हेतु लिखित परीक्षा के अतिरिक्त ट्रेड टेस्ट देना होगा जिसके लिये 25 अंक होंगे। आरक्षक(डी.आर) के विज्ञापित पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया आरक्षक(चालक) के समान होगी। लिखित परीक्षा निम्न शहरों में आयोजित की जायेगी :- 1. रायपुर 2. दुर्ग-भिलाई 3. राजनांदगांव 4. बिलासपुर 5. अंबिकापुर 6. जगदलपुर। परीक्षा की तिथि व स्थान के संबंध में अभ्यर्थी को पृथक से सूचित किया जावेगा।

**नोट :- (क)** अभ्यर्थी जिस जिले में स्थित जिला/इकाई के विज्ञापित पद के लिये आवेदन करेगा, उसे उसी जिले के रेंज मुख्यालय(शहर) को परीक्षा केन्द्र चुनना होगा तथा उसी जिले हेतु उसका आवेदन मान्य किया जावेगा।

(ख) अभ्यर्थी ने जिस जिले हेतु आवेदन किया है उसे उसी रेंज मुख्यालय का परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जावेगा। किन्हीं कारणोंवश ऐसा नहीं होने पर अन्य केन्द्रों से परीक्षा में सम्मिलित होनें हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा परंतु उनकी पात्रता उसी जिले हेतु होगी जहां के लिए उन्होंने आवेदन किया है।

(ग) लिखित परीक्षा में परीक्षा भवन में मोबाईल फोन, केलकुलेटर इत्यादि लेकर जाना वर्जित होगा।

(घ) लिखित परीक्षा में ओएमआर उत्तरशीट काले या नीले बॉल पेन से भरना होगा।

**6. यात्रा किराया :-**

लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमलेयर) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार यात्रा किराया दिया जावेगा।

**7. चयन सूची :-**

लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के योग के आधार पर प्रत्येक जिले के लिये अलग-अलग मेरिट क्रम में सूची बनाई जावेगी। आरक्षक(चालक) एवं आरक्षक(ट्रेड) पद हेतु लिखित परीक्षा के अतिरिक्त ट्रेड टेस्ट के 25 अंक (कुल 125 अंक) के आधार पर चयन सूची बनाई जावेगी। नियुक्तियों पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) से की जावेगी। प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) में अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी

सह-वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जावेगा। यदि जन्मतिथि व प्राप्तांक समान हो तो आवेदन पत्र के पंजीयन के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।

परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

**8. नियुक्ति :-**

प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जायेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकुल पाये जाने पर ही नियुक्ति पर विचार किया जावेगा। नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' (Medically fit) होना भी अनिवार्य होगा। इस हेतु मेडिकल परीक्षण भी कराया जावेगा।

**9. प्रशिक्षण :-**

प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जावेगा।

---